सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को कारावास

चारों को 20-20 साल की कैद व 53-53 हजार का अर्थदंड

अदालत से

श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैंदुआ निवासी सामूहिक दुष्कर्म व जाति सूचक गाली देने के आरोपी ओमकार वर्मा, मनोज वर्मा, सेठ उर्फ ओमकार कश्यप मनीष कश्यप को सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनीश गौतम के समक्ष पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास व 53-53 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर चारों को छह-छह माह के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 22 फरवरी वर्ष 2024 को खेत में साग खोंटने गई थी। उसी दौरान पास के खेत में मौजूद कैंदुआ निवासी ओमकार वर्मा ने महिला को पकड़ लिया और दूसरे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

इसके बाद कैंदुआ गांव के ही मनोज वर्मा, मनीष कश्यप व सेठ उर्फ ओमकार कश्यप ने भी महिला के साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। इस दौरान सभी ने महिला को जाति सूचक गाली दी और धमकाया भी। पीड़िता की तहरीर पर 23 फरवरी को सोनवा थाने में सामूहिक दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (संवाद)